SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad, DIST Bhind (M.P)	
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-, Billid M.P. Case No	
Complaint or report made on	
ase No	
Jame and address of the Complain of	**********
value and address of the Companion and Allies	
Name , parentage, caste and address of accused	
सुल्तां हा हा साला मार्च उम् - 29 साल मिल्न वार्ड म. 13 की. भिला किया	
A SE SIST MONEY	
140- 812 4.13 NI MICH IND	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आपने दिनांक २२-३-४७ को समय लगमग ८०० बजो, अंतर्गत थाना ५००० में वाहन छूट्ट	
अपन दिनाक क्रि का समय लगमग क्रि बज,	स्थान
अतर्गत थाना अतर्गत थाना अतर्गत थाना अतर्गत थाना	 ° ~ ф 0
14 कि साधारण उपहित कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कि	आहत
कर्य किर	या ह जो
कि मा0द0वि० की धारा 🚯 📿 🦪 🐧 ६ ८०० के तहत दण्डनीय अपराध है और इस	न्यायालय
के संज्ञान में आता है।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो	THE T
Control Control	BAN WAS
Judicial Magistia	te Fiendel
The plea of the accused and his examination (if any)	ind (M.P.)
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।	
	7
\sim 1	
4KIN	理一个
Judicial Madistrate	First Mass
The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 value of the property in respect of which the offence has been a	1 WARY
The state of the s	STATE OF THE STATE

/ / निर्णय / / (आज दिनांक) को घोषित) र ैं \

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा०द०वि० की धारा

27 के पिक के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखत नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी

को भा.द.वि की धारा

70 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादिवि० की बारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अविध की सजा एवं रूपये किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को विवस की अविध के साधारण कारावास से मुगताया जावे।

04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन किया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मानतीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt Bhind (M.P.)